राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./6545/2001/बीकानेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उपनिवेशन, कोलायात नम्बर 1, बीकानेर प्रभारी अधिकारी

.....अपीलार्थी

बनाम

1– रामलाल पिसरान मानाराम
2– बीरबल पिसरान मानाराम – फौत
  2.1 पंखिया देवी पत्नी स्व0 बीरबल राम
  2.2 वचनाराम पुत्र बीरबलराम
  2.3 लाधुराम पुत्र बीरबलराम
  2.4 बुधराम पुत्र बीरबलराम
3– पांचाराम पिसरान मानाराम
4– लालूराम पिसरान मानाराम
5– गणपतराम पिसरान मानाराम
6– श्रीमती चावली पत्नी श्री गंगाबिशन
7– श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री चेतराम
जाति विश्नोई, निवासी बज्जू, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्रीमती पूनम माथुर, अति0राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस0पी0 सिंह, अभिभाषक रैस्पो0 1, 3 लगायत 5
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक रैस्पो0 6 व 7

निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 150/2000 शीर्षक रामलाल वगैरा बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2001 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 15–एएए (2) के अन्तर्गत न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम बीढनोक के खसरा नम्बर 3 रकबा 209 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 88 रकबा 81 बीघा 3 बिस्वा, 2 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 258–08 बीघा वादीगण के पिता मानाराम की कृषि भूमि रही है और वादीगण धारा 19 के तहत खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी रहे हैं किन्तु उक्त भूमि में से केवल

खसरा नम्बर 102 रकबा 81 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 598 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 82 बीघा 7 बिस्वा दर्ज कर दी गई जब कि खसरा नम्बर 3 रकबा 109 बीघा 14 बिस्वा, 2 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 598 की दर्ज हुई बाकी खसरा नम्बर 599, 601 जो पुख्ता सैटलमैंट में बना है आराजी राज दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के वाद को डिक्री किया जाये। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बीढनोक के खसरा नम्बर 102 रकबा 81 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 598 में रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 81 बीघा 7 बिस्वा वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 3 रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा आराजी राज दर्ज है और खसरा नम्बर 2 रकबा 55–10 बीघा भंवरलाल, मोखराम पि0 मानाराम के गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 599 रकबा 108–04 बीघा आराजी राज में से 24 बीघा बगडूराम पुत्र रामलाल विश्नोई को टी0सी0 आवंटन है। वादी गैर खातेदारी के अतिरिक्त अन्य की गैर खातेदारी व आराजी राज की भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। तत्समय प्रचलित सर्वे सिद्धान्तों के अनुसार कब्जा रहित भूमि आराजी राज दर्ज किया जाना सही था। समरी सैटलमैंट कोई आवंटन गैर स्वामित्व का होने का अधिकारी नहीं रखता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गैर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। सहायक उपनिवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर के निर्णय दिनांक 5–4–2000 के अनुसार वादी के वाद को खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 150/2000 शीर्षक रामलाल वगैरा बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2001 के द्वारा खसरा नम्बर 599 रकबा 108 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार घोषित किया गया और खसरा नम्बर 601 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा के बाबत् अपील अपीलार्थी खारिज की गई है। जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष राज्य पक्ष द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर के निर्णय दिनांक 5–4–2000 के अनुसार वादी के वाद को विस्तृत रुप से परीक्षण करते हुए खारिज किया गया था किन्तु अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से विवेचन करते हुये खसरा नम्बर 599 रकबा 108 बीघा 14 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि सम्वत् 2012 से वादीगण का प्रश्नगत आराजी पर सब–टीनैण्ट या उप–कृषक की हैसियत से कब्जा काश्त नहीं रहा है, अतः वादीगण के पक्ष में अधिनियम, 1955 की धारा 15 या 19 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार केवल कृषक या उपकृषक को ही खातेदारी प्रदान की जा सकती है किन्तु सम्वत् 2012 की जमाबंदी में वादी की इस प्रकार की हैसियत नहीं रही है। खसरा गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट नहीं है और खसरा गिरदावरी के अंकनों के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि खसरा नम्बर 599 पर अपना कब्जा साबित करने हेतु वादीगण द्वारा मात्र धारा 22, उप निवेशन एक्ट के तहत जारी किए गए नोटिस एवं गवाहों के बयान ही प्रस्तुत किए गए हैं। गवाहों की मौखिक साक्ष्य जब तक राजस्व रिकार्ड से पुष्ट नहीं हो जाये, मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। वादीगण की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की है और राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के पक्ष में किसी प्रकार से खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो गैर खातेदारी का अंकन किया गया है वह बिना

किसी सक्षम आदेश के किया गया है जो कि शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। योग्य अधिवक्ता ने अन्त में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत बहाल किया जाये।

5– रैस्पो0 संख्या 1, 3 लगायत 5 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी वादीगण/रैस्पो0 के पिता मानाराम के कब्जे काश्त की भूमि प्रारम्भ से ही राजस्व रिकार्ड में अंकित हो कर चली आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 88 रकबा 81 बीघा 3 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 102 रकबा 81 बीघा 2 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 601 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3 रकबा 109 बीघा 14 बिस्वा से नये खसरा नम्बरान 598 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं 599 रकबा 108 बीघा 5 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल कायम किए गए हैं। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019, 2020 में वादीगण के पिता मानाराम उपकृषक दर्ज है। सम्वत् 2016 में शिकमी काश्तकार वादीगण के पिता मानाराम अंकित है। गिरदावरी सम्वत् 2018 में भी मानाराम का नाम दर्ज है। बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में गत खसरा नम्बर 88 मिन रकबा 81 बीघा 2 बिस्वा वादीगण की गैर खातेदारी में अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि भू प्रबन्ध से पूर्व प्रश्नगत आराजी के साबिक खसरा नम्बरान वादीगण के पिता के नाम अंकित रहे हैं। धारा 22 के तहत जो नोटिस जारी किए गए हैं उनके अनुसार वर्ष 1996, 1988, 1978, 1977, 1976 में वादीगण की खसरा नम्बर 599 पर काश्त दर्ज है। उप निवेशन क्षेत्र में धारा 15–एएए (2–क) के तहत खातेदारी दिए जाने का प्रावधान है, अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादीगण का पुराना कब्जा साबित होने से धारा 88 के वाद को डिक्री करने में और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथन की पुष्टि के लिए न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (15) 2008 पेज 41, आर0बी0जे0 (10) 2005 पेज 205, आर0आर0डी0 1996 पेज 535, आर0आर0डी0 2001 पेज 184 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराने कब्जे के आधार पर खसरा गिरदावरी के अंकनों के आधार पर भी खातेदारी प्रदान की जा सकती है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6– रैस्पो0 संख्या 6 व 7 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 599 की 40 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन गुमान सिंह पुत्र जीवराज सिंह के पक्ष में दिनांक 26–12–2008 को किया जा कर दिनांक 7–6–2012 को खातेदारी आवंटी के पक्ष में प्रदान की गई थी। खसरा नम्बर 599 की 40 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 20 बीघा भूमि श्रीमती चावली ने दिनांक 10–07–2012 को गुमान सिंह से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है और इसी प्रकार से श्रीमती उर्मिला ने आराजी खसरा नम्बर 599 की 40 बीघा 8 बिस्वा में से 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि गुमान सिंह से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है और क्रेतागण के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 2927 दिनांक 29–08–2012 दर्ज हो कर स्वीकृत किया गया है। राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 12–3–2018 को उन्हें अपीज में रैस्पो0 संख्या 6 व 7 बनाया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में खसरा नम्बर 599 रकबा 108 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी की डिक्री प्रदान की है, जिसमें से रैस्पो0 संख्या 6 व 7 की क्रय की गई भूमि रकबा क्रमशः 20 बीघा एवं 20 बीघा 8 बिस्वा के बाबत् प्रदान की गई डिक्री को अपास्त किया जाये।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

8– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण/रैस्पो0 की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 15–एएए(2) के तहत प्रश्नगत भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताते हुए घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था और परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त (प्रथम), उप निवेशन ने अपने निर्णय दिनांक 5–4–2000 में वादीगण को अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 15–एएए(2) के तहत वादाधीन भूमि हेतु वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए वादी का वाद खारिज किया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–06–2001 से यह माना है कि खसरा नम्बर 599 रकबा 108 बीघा 14 बिस्वा पर बंदोबस्त के पूर्व के रिकार्ड व बन्दोबस्त के बाद के रिकार्ड में वादीगण ने अपना कब्जा सिद्ध किया है और इस प्रकार वादीगण को खसरा नम्बर 599 रकबा 108 बीघा 14 बिस्वा पर खातेदारी प्रदान की है। खसरा नम्बर 601 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होना मानते हुये, इस खसरा नम्बर के सम्बन्ध में वादीगण की अपील को खारिज किया गया है। स्पष्ट है कि वादीगण ने अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 15–एएए(2) के तहत प्रश्नगत भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताते हुए घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। अधिनियम, 1955 की धारा 88 के प्रावधान इस प्रकार से हैंः–

> **88. अधिकार की घोषणा :–** (1) अभिधारी या सह–अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए दावा ला सकेगा।
> (2) खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है, वाद ला सकेगा।
> (3) उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरुद्ध इस घोषणा के लिए कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा।
> (4) राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक, किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अधिनियम, 1955 की धारा 15–एएए के अन्तर्गत इंदिरा गॉधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भुत होने सम्बन्धी प्रावधान हैं जिसके अनुसार

> (1) धारा 15–क में किसी बात के होते हुये भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन अधिनियम के प्रारम्भ के समय –
>
> (क) खुदकाश्त का धारक या अधिभोगी अभिधारी मारुसीदार या खातेदार अभिधारी था या ऐसा अभिधारी था जिसे अन्तरणीय और उत्तराधिकार योग्य अधिकार प्राप्त थे और जिसका नाम तत्समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में इस रुप में अभिलिखित था
> (ख) इस में अभिलिखित नहीं था किन्तु खुदकाश्त का धार या अधिभोगी अभिधारी या मारुसीदार या खातेदार अभिधारी था या ऐसा अभिधारी था जिसे अन्तरणीय और उत्तराधिकार योग्य अधिकार प्राप्त थे
> इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, इस अधिनियम के अधीन, के खातेदार अभिधारी के समस्त अधिकारों का हकदार और समस्त दायित्वों के अधीन होगा।

अधिनियम, 1955 की धारा 15–एएए (2–क) के प्रावधान इस प्रकार से हैंः–

[(2–क) क धारा 15–क में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो इन्दिरा गॉधी नहर क्षेत्र के भीतर खुदकाश्त के उप अधिकारी या अभिधारी के रुप में भिन्न भूमि के खुदकाश्त का धारक था या भूमि का अभिधारी था, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अभिलिखित था या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 106 और धारा 107 के अधीन संचालित सर्वेक्षण या पुनर्सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के दौरान तैयार किए गए अधिकारों के अभिलेख में बाद में दर्ज किया गया हो,समस्त अधिकारों को हकदार होगा और इस अधिनियम के अधीन, उसके द्वारा धारित भूमि के ऐसे सम्पूर्ण भाग या अंश के संबंध में जो भूमि के उस अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो जिसका वह राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) के उपबंधों के अनुसार, धारित करने का हकदार होता है, खातेदार अभिधारी के रुप में समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा।]

9– पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 88/ 81 बीघा 3 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 102 रकबा 81 बीघा 2 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 601 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3 रकबा 109 बीघा 14 बिस्वा से नये खसरा नम्बरान 598 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं 599 रकबा 108 बीघा 5 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल कायम किए गए हैं। खसरा गिरदावरी स्लिप सम्वत् 2016 में खसरा नम्बर 3 रकबा 109–09 बीघा में कॉनम संख्या 5 जो शिकमी काश्तकार का है में माना वल्द लाखा अंकित है। कॉलम संख्या 4 खातेदार में भैरुसिंह वगैरा अंकित है। सम्वत् 2018–19 में कॉलम संख्या 4 में आराजी राज दर्ज है और कॉलम संख्या 5 में मानाराम का नाम बतौर तावामी काश्तकार दर्ज है। धारा 22 के तहत वादीगण के पक्ष में समय समय पर नोटिस जारी किए गए हैं जिससे वादीगण के मात्र अतिक्रमी होने की पुष्टि हो सकती है। इस सम्बन्ध में प्रावधान स्पष्ट हैं कि राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार भू–सम्पदा स्वामी को उसकी भू सम्पदा के पुनर्ग्रहण अथवा उन्मूलन होने की दशा में उसकी खुदकाश्त की भूमि के सम्बन्ध में अन्तर्गत ब्यौरा 13, खातेदार आसामियों को, अन्तर्गत धारा 15, 15 क, 15 ककक व खुदकाश्त के आसामियों या शिकमी आसामियों को अन्तर्गत धारा 19 प्राप्त हो सकते हैं। केवल मात्र पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। 1976 आर0आर0डी0 पेज 436, 1978 आर0आर0डी0 पेज 482 व 1980 आर0आर0डी0 पेज 464 में व्यवस्था प्रदान की है कि पुराने कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। वादी का कब्जा टीनैण्ट के रुप में नहीं रहा है। आर0आर0डी0 1990 पेज 277 में इसी बिन्दु पर निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया गया है :–

> Raj. Tenancy Act, Sections 13,15 & 19 - Khatadari rights can be conferred/acquired only where fulfillment of the conditions prescribed therein are established - Khatedari rights cannot be acquired merely on the basis of old possession - Deposit of rent in pursuance of orders of lower courts which have been set aside does not help in the acquisition of khatedari rights. (Paras 7 & 8)

10– वादी द्वारा अपने पक्ष में कब्जे की पुष्टि के लिए खसरा गिरदावरी स्लिप व खसरा परिवर्तनशील के रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु सम्वत् 2012 का किसी प्रकार का अधिकार अभिलेख सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

किया है। खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में नहीं आती है और खसरा परिवर्तनशील के अंकन मात्र अतिक्रमण के द्योतक हैं, अतः इनके आधार पर वादी के पक्ष में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। आर0आर0डी0 2000 पेज 95 पर माननीय उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 681/1998 में प्रकरण शीर्षक नन्दलाल व अन्य बनाम बोर्ड आफ रैवेन्यू व अन्य में दिनांक 4-1-2000 को निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया हैः-

> Raj. Tenancy Act, Sections 13, 15, 19 & 180 (a) (d) - Acquiring khatedari rights - Held, mere possession at the time of commencement of 1955 Act is not sufficient to attract Sec. 15 - Possession must be as a tenant - Khasra Girdawari is not a record of rights and therefore possesion according to Khasra Girdawari of Sanwat 2009 to 2014 does not confer any title or khatedari rights on petitioners.(plaintiffs).

11- जैसा कि ऊपर स्पष्ट रुप से विवेचन किया जा चुका है कि खसरा गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट नहीं है और इसके आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं हो सकते हैं एवं अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के आधार पर मात्र पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है बल्कि अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होने के समय वादीगण का कब्जा टीनैण्ट के रुप में होना चाहिए था। अधिनियम, 1955 की धारा 15-एएए के अन्तर्गत इंदिरा गॉधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भुत होने सम्बन्धी प्रावधान हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी वादी का कब्जा साबित नहीं होता है। माननीय मण्डल की पूर्ण पीठ ने 2018 आर0आर0डी0 715 शीर्षक सरजुराम बनाम अमृतलाल वगैरा में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी को भी स्पष्ट रुप से नकार दिया है। अतः वादीगण को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी घोषणा का पात्र नहीं माना जा सकता है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की ओर से हमारे समक्ष जो न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं उनका ससम्मान अध्ययन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (15) 2008 पेज 41 में प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वादीगण का कब्जा सम्वत् 2011 का रहा है जब कि वर्तमान प्रकरण में सम्वत् 2012 का कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है, अतः उद्धरित न्याय दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है। इसी प्रकार से न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (10) 2005 पेज 205 में प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वर्ष 1946 से पूर्व कब्जा होने के आधार पर माननीय न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधान लागू होने के समय सब-टीनैण्ट सिद्ध होना मानते हुये अपना अभिमत पारित किया है, जब कि वर्तमान प्रकरण में अधिनियम के प्रभाव में आने के समय का कब्जा साबित नहीं होता है। इसी प्रकार से आर0आर0डी0 1996 पेज 535, आर0आर0डी0 2001 पेज 184 के तथ्य व परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण से जुदा होने से, ये नजीरें वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होती है। फलतः हमारा स्पष्ट रुप से मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 599 रकबा 108 बीघा 14 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने में और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में स्पष्टतया भूल की है।

12- अतः अपील अपीलार्थी सारवान प्रतीत होने से **स्वीकार** की जाती है। अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 150/2000 शीर्षक रामलाल वगैरा बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-06-2001 में खसरा नम्बर 599 रकबा

108 बीघा 14 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने सम्बन्धी जो निर्णय पारित किया है उसे निरस्त किया जाता है तथा खसरा नम्बर 601 रकबा 67 बीघा 6 बिस्वा के बाबत् अपील अपीलार्थी खारिज की गई है, उसे यथावत रखा जाता है और परीक्षण न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर के निर्णय दिनांक 5-4-2000 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष